सहपीडिया-यूनेस्को अध्येतावृत्ति 2020

परिशिष्ट- V

नियम एवं शर्तें

चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने पर सहपीडिया-यूनेस्को 2020 शोधार्थी के रूप में मान्यता दी जाएगी।

1. चयनित उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति-परियोजना 28 सप्ताह के अन्दर अर्थात 01 अक्टूबर 2020 से 30 मार्च 2021 तक समाप्त करना आवश्यक है।
2. सहपीडिया पर पाठ्य सामग्री में विशेषत: एक समीक्षात्मक लेख समाहित होता है (एक सन्दर्भग्रन्थ सूची के साथ) या एक संक्षिप्त वृत्तचित्र (एक उपशीर्षक तथा समीक्षा के साथ), इसके अतिरिक्त सहायक/विशेष विषय-वस्तु पर लेख सहित संयोजन (संदर्भ-सूची सहित), प्रतिलेखन, दृश्य चित्र, ऑडियो-क्लिपिंग्स, चित्र-वीथिका, तथा चित्र-निबन्ध के साथ विशेषज्ञों तथा कलाकारों के साथ साक्षात्कार। चयनित उम्मीदवार आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रदेय ही जमा कर सकता है। चयनित उम्मीदवार प्रदेय को प्रस्तुत करने की समय-सीमा का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य है। सहपीडिया लेखन एवं दस्तावेजीकरण के विशेष मानकों का अनुकरण करता है, जिसके उदाहरण वेबसाइट पर परिशिष्ट 4 में पाये जा सकते हैं।
3. अध्येतावृत्ति भारतीय रु 44,445 (मात्र चवालीस हजार एवं चार सौ पैतालिस), का अनुदान प्रदान करती है, जिसमें एक पारिश्रमिक एवं कार्य की पूर्ति की प्रक्रिया में किए गए अन्य व्यय सम्मिलित हैं। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू आयकर स्रोत पर घटा दिया जाएगा, जिसके उपरांत उम्मीदवार को भारतीय रु 40,000 की राशि प्राप्त होगी। चयनित उम्मीदवार, जो क्षेत्रीय भाषाओं में काम कर रहे हैं, उन्हें सहपीडिया समूह के अनुमोदन अनुसार, अपने काम के अनुवाद के उद्देश्य से भारतीय रु 10,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यह राशि वास्तविक मूल्य पर आधारित, रसीद या माँग के आधार पर, प्रदेय के गुणात्मक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए दी जा सकती है। इस अनुदान के अतिरिक्त और इससे अधिक कोई अन्य राशि या आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।
4. सहपीडिया ऊपरलिखित राशि चयनित उम्मीदवारों को तीन किश्तों में उपलब्ध कराएगा, अध्येयवृत्ति की 20% राशि अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने के बाद, अध्येवृत्ति की 40% राशि पहले दो प्रदेय के सन्तुष्टि होने के बाद जमा करने और अपलोड करने पर तथा अध्येयवृत्ति की 40% राशि सहपीडिया के संतुष्ट होने पर अध्येयवृत्ति की पूर्ति होने पर मिलेगी। भारतीय रु 10,000 का अनुवादन शुल्क क्षेत्रीय भाषाओं में काम कर रहे चयनित उम्मीदवारों को, अनुवादित सामग्री के अनुमोदन, मूल्यांकन एवं समीक्षा के बाद अध्येतावृत्ति के अन्त में प्रस्तुत किया जाएगा।
5. पहली किश्त (कुल राशि का 20%) चयनित उम्मीदवार के पैन कार्ड की प्रतिलिपि, निरस्त चेक/बैंक खाते के विवरण की प्राप्ति तथा अनुबन्ध के पत्र की एक औपचारिक स्वीकृति पर जारी किया जाएगा।
6. आगामी किश्तें सहपीडिया के संतुष्ट होने पर काम की समाप्ति के बाद जारी की जाएंगी। साधारणत: सहपीडिया को प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन तथा समीक्षा के लिए चार से छ: सप्ताह आवाश्यक होंगे। इसके बाद भुगतान किया जाएगा।

7. एक मासिक प्रगति-विवरण चयनित उम्मीदवार से ई मेल द्वारा अपेक्षित है। पहले महीने में निर्धारित कार्य के लिए एक प्रारम्भिक-बजट प्रदान किया जाना चाहिए।
8. पाठ्य-सामग्री के लिये तैयार तथा संग्रहित सभी सामग्री, सहपीडिया की ऑन लाइन वेबसाइट पर अपलोड की जायेंगी। सहपीडिया रचनाकारों को पूर्ण श्रेय देते हुए, इंटरनेट की शोध, ज्ञान और कलात्मक रचनात्मकता को अधिक ग्राह्य बनाने की क्षमता को सर्वाधिक बढ़ाने के उद्देश्य से रचनात्मक सामग्री की सार्वजनिक उपलब्धता (Creative Commons Approach) के सिद्धान्त के लिये प्रतिबद्ध है। इसे सहपीडिया की बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) नीति के अन्तर्गत अधिकृत किया जायेगा। (CC-BY-SA 4.0) चयनित उम्मीदवार को प्रस्तुत किये गये काम के लिए श्रेय दिया जायेगा।
9. सहपीडिया तथा यूनेस्को के पास, पुरस्कार से जनित सम्पूर्ण कार्य या उसके भागों को, किसी भी प्रकाशन/प्रकाशनों में, किसी भी माध्यम में, बिना अतिरिक्त आज्ञा लिए या भुगतान दिए प्रयोग करने और/या पुन: प्रस्तुत करने के असीमित अधिकार होंगे। ऐसी किसी स्थिति में उचित श्रेय दिया जायेगा।
10. सहपीडिया के पास किसी भी सामग्री को असंतोषजनक और/या विवादास्पद पाने पर या अन्य किसी भी कारण के लिये, जैसा सहपीडिया ठीक समझे, हटाने के अधिकार सुरक्षित हैं।
11. यदि चयनित उम्मीदवार का अध्येतावृत्ति कार्य उनको सूचित किये बिना या आज्ञा के बिना किसी भी माध्यम में प्रकाशित होता है तो सहपीडिया तथा यूनेस्को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त है।
12. सहपीडिया और यूनेस्को का भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51, 63, तथा 65 के अन्तर्गत, इस कार्य के सम्बन्ध में किसी अन्य पक्ष के किए दावे के परिणामस्वरूप उल्लंघन या दुरुपयोग के दावे के संबन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। शोधार्थी द्वारा सहपीडिया को प्रस्तुत किया गया कार्य एक मौलिक कृति होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार, किसी अन्य माध्यम से पुन: प्रस्तुत की हुई नहीं होनी चाहिए। सम्पूर्ण प्रस्तुत-कार्य का साहित्यिक-चोरी विरोधी सॉफ्टवेयर द्वारा गहन परीक्षण किया जाएगा।
13. चयनित उम्मीदवार, सहपीडिया तथा यूनेस्को, और उसके प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक की या उनमें से किसी की भी (इसके उपरान्त जिन्हें सामूहिक रूप से "क्षतिपूरित समूह" के रूप में सम्बोधित किया जाएगा), तथा जो पूर्ण या आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष के IPR के उल्लंघन के कारण या दावों से जुड़े, सभी दावे, मुकदमे, मांग, कार्यवाही, कार्यवाही के कारण, प्रक्रिया, निर्णय, मूल्यांकन, दोष, और क्षतिपूरित समूह के विरुद्ध लगाए गए आरोप, सभी नुकसान, क्षति, व्यय, देनदारी और खर्चे (जिसमें उचित वकील और पेशेवर शुल्क तथा खर्चे समाहित हैं) की क्षतिपूर्ति तथा बचाव करेंगे।
14. चयनित उम्मीदवार की ओर से निम्नलिखित में:

a. सहपीडिया की संतुष्टि के उपरान्त जमा किए जाने वाले प्रदेय की प्रस्तुति
b. समय-सीमा और सारणी का सख्ती से अनुपालन
c. मासिक प्रगति-रिपोर्ट की प्रस्तुति

असफल होने पर सहपीडिया अध्येयवृत्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी कारणवश अध्येयवृत्ति की समाप्ति पर सहपीडिया किसी भी अग्रिम-भुगतान की वसूली, भविष्य के भुगतान पर रोक, और अध्येयवृत्ति-प्रमाण पत्र के जारी करने पर रोक लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। समाप्ति की अवस्था में, सहपीडिया चयनित उम्मीदवार को

लिखित में सूचित करेगा। ऊपरलिखित किसी भी कारणवश समाप्ति की अवस्था में चयनित उम्मीदवार को सहपीडिया-यूनेस्को शोधार्थी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होगी।